خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی لکھنؤ
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

संख्या : 1240 / उअफाविवि / कुसका / 2018 / 49 / 10TC
दिनांक : 06 नवम्बर, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की आगामी बैठक दिनांक दिनांक 14–11–2018 मध्यान्ह 12:00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में आहूत की गयी है।

विद्यापरिषद के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया उक्त तिथि एवं समय पर कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

बैठक की कार्यसूची का विचार बिन्दु

बिन्दु संख्या–1 विद्यापरिषद की चौथी बैठक दिनांक 27–08–2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि **(संलग्नक–1)**।

बिन्दु संख्या–2 विश्वविद्यालय में भारतीय और विदेशी भाषाओं के प्रस्ताव को कार्यपरिषद से अनुमोदन कराकर शासन को प्रस्ताव भेजने पर विचार।

बिन्दु संख्या–3 विश्वविद्यालय में शोध कार्य / पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के निर्देशानुसार अध्यादेश को लागू करने पर विचार।

बिन्दु संख्या–4 शासन के पत्र संख्या–266 / सत्तर–1–2018–16(74) / 2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0 / पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–683 / सत्तर–1–2015–16(74) / 2011 दिनांक 28–08–2015 पर विचार **(संलग्नक–2)**।

बिन्दु संख्या–5 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली परास्नातक स्तर पर प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

बिन्दु संख्या–6 अन्य बिन्दु– माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

05/11/18

(शत्रोहन वैश्य)
कुल सचिव।

__पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।__

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, माननीय श्री राज्यपाल / कुलाधिपति जी, राजभवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति जी / अध्यक्ष विद्यापरिषद को माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. विद्यापरिषद के समस्त माननीय सदस्यों को उक्तानुसार बैठक में प्रतिभाग हेतु सादर निवेदन सहित।
5. निजी सचिव वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
6. उप कुलसचिव को इस आशय से कृपया स्वयं भी उपरोक्त कार्यक्रमों की तैयारी एवं समीक्षा आदि करने का कष्ट करें।
7. कुलानुशासक / सहायक कुलानुशासक को शान्ति व्यवस्था हेतु।
8. मीडिया प्रभारी।
9. गार्ड फाइल।

05/11/18

(शत्रोहन वैश्य)
कुल सचिव।

संलग्नक-1

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 27.08.2018 को अपराह्न 01:00 बजे सम्पन्न हुई विद्यापरिषद की चौथी बैठक की कार्यवाही।

————————

उपस्थित :

1.	प्रो0 माहरूख मिर्ज़ा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मसऊद आलम, **विभागाध्यक्ष**, अरबी विभाग	सदस्य
3.	प्रो0 सैयद हैदर अली, **विभागाध्यक्ष**, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग	सदस्य
4.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफ़ी, **विभागाध्यक्ष**, उर्दू विभाग।	सदस्य
5.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, **विभागाध्यक्ष**, वाणिज्य विभाग	सदस्य
6.	डॉ0 तनवीर ख़दीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, **विभागाध्यक्ष**, अंग्रेजी विभाग।	सदस्य
7.	डॉ0 चन्दना डे, एसोसिएट प्रोफेसर, **विभागाध्यक्ष**, शिक्षा विभाग।	सदस्य
8.	डॉ0 फख़रे आलम, **एसोसिएट प्रोफेसर**, उर्दू विभाग।	सदस्य
9.	डॉ0 मुशीर अहमद, **एसोसिएट प्रोफेसर**, व्यवसाय प्रबंधन विभाग।	सदस्य
10.	डॉ0 अब्दुल हफ़ीज़, **असिस्टेंट प्रोफेसर**, अरबी विभाग।	सदस्य
11.	डॉ0 प्रियंका, **असिस्टेंट प्रोफेसर**, गृहविज्ञान विभाग।	सदस्य
12.	डॉ0 मज़हर ख़ालिक़, **असिस्टेंट प्रोफेसर**, कम्प्यूटर साइंस।	सदस्य
13.	डॉ0 नीरज शुक्ल, **असिस्टेंट प्रोफेसर**, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
14.	डॉ0 पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, **प्रतिनिधि एससी/एसटी**	सदस्य
15.	श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, **प्रतिनिधि एससी/एसटी**	सदस्य
16.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सदस्य सचिव

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को यूजीसी की अपेक्षानुसार सीबीसीएस पद्धति के अनुसार संचालित किये जाने हेतु विभागीय बीओएस द्वारा संस्तुत पाठ्यचर्या पर पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय–

विद्यापरिषद् ने सर्वसम्मति से विभागीय बीओएस द्वारा संस्तुत सीबीसीएस की पाठ्यचर्या पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही सीबीसीएस के अनुसार पाठ्यक्रमों का संचालन शैक्षिक सत्र 2018–19 से किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की।

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती

बिन्दु संख्या–2

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 25(2)(गप) के अंतर्गत शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले पांच व्यक्तियों के विद्यापरिषद के सदस्य के रूप में चयन किया जाना।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 25(2)(xi) के अन्तर्गत निम्नलिखित को विद्यापरिषद् के सदस्य के रूप में चयनित किया–

1. **प्रो0 मो0 सग़ीर बेग अफ़राहीम**, उर्दू विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. **प्रो0 मो0 शफ़ीक़ अहमद**, कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर।
3. **प्रो0 सैय्यद अफ्ज़ल मुर्तज़ा रिज़वी**, कम्प्यूटर साइंस विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
4. **प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल**, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. **प्रो0 विजय वीर सिंह**, निदेशक, नीति आयोग पीठ, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

बिन्दु संख्या–3

भविष्य में विश्वविद्यालय में विधि एवं बी0टेक पाठ्यक्रमों के संचालित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने विश्वविद्यालय में विधि एवं बी0टेक0 पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की तथा इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

बिन्दु संख्या–4

अन्य बिन्दु – माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(शत्रोहन वैश्य)
कुल सचिव / सचिव, विद्यापरिषद्

कुल सचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
कुलपति / अध्यक्ष, विद्यापरिषद्

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

संलग्नक-2

संख्या- 266 /सत्तर-1-2018-16(74)/2011

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक :24 अगस्त, 2018

विषयः- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-683/सत्तर -1-2015-16(74)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रकिया) विनियम, 2009' के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु प्रकिया का निर्धारण किया गया है।

2- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-278 दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0 /पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रकिया) विनियम, 2009' के प्रतिस्थापन में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रकिया) विनियम, 2016' निर्गत किया गया है।

3- सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66 (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रकिया) विनियम, 2016' को यथावत लागू किये जाने का आदेश एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

s.o/g.o-2/c-3

संख्या– 266 (1)/सत्तर–1–2018–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।

(2) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

(5) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

(6) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को राज्य विश्वविद्यालयों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)

विशेष सचिव।

s.o/g.o-2/c-3